

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	आवेदक विभाग/संस्थान:-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 बालाघाट म.प्र. द्वारा आवेदित प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/156090/2022 में बालाघाट जिले की परसवाड़ा तहसील अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत चालीसबोड़ी-कुल्पा-माटे क़ाया बम्हनी मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 5.988 हेक्टेयर(उत्तर सा.-0.612 हेक्टे. +दक्षिण सा.-5.376 हेक्टे.) वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में वनमंडल अधिकारी, उत्तर/दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट द्वारा दी गई अनुशंसा के आधार पर प्रकरण में सहमति प्रदान की जाती है।

तिथि : 10 / 04 / 2023

स्थान : बालाघाट।

(ए.पी.एस. सेंगर)
भा.व.से.
वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.